

**राजस्थान सरकार**  
**आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर**

क्रमांक: एफ.1(68)पीएस/निकाशि/12/475

दिनांक : 02-07-2020

**विज्ञप्ति**

इस कार्यालय की विज्ञप्ति क्रमांक एफ.1(68)पीएस/निकाशि/12/246 दि० 15-7-19 के क्रम में आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के अधीन गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थित कार्यालय/महाविद्यालय में निजी सचिव, अतिरिक्त निजी सचिव एवं निजी सहायक पद पर दिनांक 01.04.2020 को कार्यरत कार्मिकों की अन्तरिम वरिष्ठता सूची निम्नानुसार जारी की जाती है :-

दि० 1-4-2020 को संस्थाई रूप से कार्यरत निजी सचिव की अंतरिम वरिष्ठता सूची-

क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि	पदस्थापन स्थान	चयन वर्ष
1.	श्री विश्वम्भर दयाल शर्मा	15-7-1965	आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर	2013-14
2.	श्री महावीर प्रसाद पारीक	3-1-1962	आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर	2013-14
3.	श्री जय प्रकाश शर्मा	1-7-1960	आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर	2013-14

दि० 1-4-2020 को संस्थाई रूप से कार्यरत अतिरिक्त निजी सचिव की अंतरिम वरिष्ठता सूची-

क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि	पदस्थापन स्थान	चयन वर्ष
1.	श्रीमती पुष्पा वाघवानी	15-5-1960	राज० महा०, अजमेर	2006-07
2.	श्री रमेश कुमार मोदी	1-1-1967	आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर	2015-16
3.	श्री बाबू लाल कुमावत	6-12-1961	आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर	2017-18
4.	श्री सुरेन्द्र कुमार पारीक	15-8-1969	आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर	2019-20

दि० 1-4-2020 को संस्थाई रूप से कार्यरत निजी सहायक की अंतरिम वरिष्ठता सूची-

क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि	पदस्थापन स्थान	चयन वर्ष
1.	श्री दिनेश कुमार सक्सैना	14-8-1960	राजकीय महाविद्यालय, कोटा	2013-14
2.	श्री अशोक कुमार गुप्ता	18-8-1964	आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर	2013-14
3.	श्री कृष्ण कान्त जोशी	21-8-1973	आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर (हाल प्रतिनियुक्त राजस्थान स्टेट बेवरेजेज निगम लिमिटेड, सीकर शाखा )	2013-14
4.	श्री संतोष कुमार	20-2-1968	आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर	2014-15
5.	श्री जगदीश शर्मा	01-07-1971	राजकीय कन्या महाविद्यालय, उदयपुर	2016-17
6.	श्रीमती प्रीति पुराहित	22-05-1970	राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर	2017-18

उक्त सूची में यदि किसी कार्मिक को कोई आपत्ति हो तो अपना लिखित अभ्यावेदन सूची जारी होने की तिथि से पन्द्रह दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा और प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् सूची को अन्तिम रूप से जारी कर दिया जायेगा।



(प्रदीप कुमार बोरड़)

आयुक्त,

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक(एच.आर.डी.-स्थापना), कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर - सूची में अंकित आयुक्तालय के संबंधित कार्मिक को अपनी आपत्ति व्यक्तिशः प्रस्तुत करने हेतु अवगत करावें।
2. संबंधित प्राचार्य- सूची में अपने महाविद्यालय के संबंधित कार्मिक को अपनी आपत्ति प्राचार्य के माध्यम से व्यक्तिशः प्रस्तुत करने हेतु अवगत करावें।
3. प्रभारी विभागीय वेबसाईट- वरिष्ठता सूची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
4. रक्षित पत्रावली।



(डॉ० के० एल० सिराधना)  
संयुक्त निदेशक (प्रशासन),  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,  
जयपुर।